TO BE PUBLISHED IN PART I SECTION 1 OF THE GAZETTE OF INDI

Government of India Ministry of Communications and Information Technology Department of Information Technology Electronics Niketan 6, CGO Complex

> New Delhi-110003 November 12, 2010

Notification

Standards for Face Image, Fingerprint Image and Minutiae

No. 2(32)/2009-EG-II. WHEREAS, Department of Information Technology (DIT), Ministry of Communications and Information Technology, Government of India (GoI) is driving the National e-Governance Plan (NeGP), which seeks to create the right Governance and institutional mechanism; implement a number of Mission Mode Projects at the Centre & State government and also promote the usage of Open Standards to avoid any technology lock-ins

AND WHEREAS, Standards in e-Governance is considered priority activity, which will help ensure sharing of information and seamless interoperability of data across e-Governance applications and also creation of an Institutional Mechanism under NeGP to evolve/adopt Standards for e-Governance

AND WHEREAS, immediate need has been felt to have Standards for identification and authorization of an individual based on his biometrics data like Face image, Fingerprint image and Minutiae

AND WHEREAS, the Competent Authority on Standards has approved the Biometrics Standards for Face image, Fingerprint image and Minutiae based on the ISO 19794 part 5 (Face Image), part 4(Fingerprint Image) and part 2 (Minutiae) standards

NOW, this Department hereby notifies Face image, Fingerprint image and Minutiae Standards for e-Governance Applications w.e.f the date of notification. The Standards can be downloaded from http://egovstandards.gov.in.

: Alongwith Hindi Version.

(S.S. Rawat)

Joint Director

Copy for information to:

The Manager

1. All Secretaries, Government of India

2. Chief Secretaries of all the State Governments

3. Secretary (IT) of all the States.

Government of India Press Faridabad (Haryana)

> (S.S. Rawat) Joint Director

187

भारत सरकार संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय सूचना प्रौद्योगिकी विभाग इलेक्ट्रॉनिक्स निकेतन 6, सीजीओ कॉम्प्लेक्स

> नई दिल्ली 12 नवम्बर, 2010 -

अधिसूचना

मुख चित्र, अंगुलीछाप चित्र और सूक्ष्म चित्र के लिए मानदण्ड

सं. 2(32)/2009-ईजी-॥ जबिक, सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारत सरकार राष्ट्रीय ई-शासन योजना (इनईजीपी) चला रहा है, जिसमें सही शासन और संस्थागत तंत्र की स्थापना करने, केन्द्र और राज्य सरकार में कई मिशन मोड परियोजनाएँ कार्यान्वित करने की बात की गई है

और जबिक, ई-शासन के मानदण्डों को प्राथमिकता प्राप्त कार्यकलाप माना गया है, जिससे सूचना के आदान-प्रदान और ई-शासन अनुप्रयोगों में डेटा के अविच्छिन्न अन्तर-प्रचालन में तथा ई-शासन के लिए मानदण्ड बनाने/अपनाने के लिए एनईजीपी के अंतर्गत संस्थागत तंत्र की स्थापना करने का भी सुनिश्चय करने में सहायता मिलेगी

और जबिक, किसी व्यक्ति के जैव सांख्यिकी डेटा जैसेकि मुख चित्र, अंगुलीछाप चित्र और सूक्ष्म चित्र पर आधारित उसकी पहचान और प्राधिकरण के लिए मानदण्ड बनाने की तत्काल आवश्यकता महसूस की गई है ।

और जबिक, मानदण्ड संबंधी सक्षम प्राधिकारी ने आईएसओ 19794 भाग 5 (मुख चित्र), भाग 4 (अंगुलीछाप चित्र) तथा भाग 2 (सूक्ष्म चित्र) मानदण्डों पर आधारित मुख चित्र, अंगुलीछाप चित्र और सूक्ष्म चित्र के जैव सांख्यिकी मानदण्डों को अनुमोदित कर दिया है ।

अब, यह विभाग एतद्द्वारा अधिसूचना की तारीख से ई-शासन अनुप्रयोगों के लिए मुख चित्र, अंगुलीछाप चित्र और सूक्ष्म चित्र के मानदण्डों को अधिसूचित करता है । इन मानदण्डों को http://egovstandards.gov.in से डाउनलोड किया जा सकता है ।

(एस.एस.रावत) संयुक्त निदेशक

सेवा में.

प्रबंधक भारत सरकार प्रेस फरीदाबाद (हरियाणा)

सूचनार्थं प्रतिलिपि:

- 1. भारत सरकार के सभी सचिव ।
- 2. सभी राज्य सरकारों के मुख्य सचिव ।
- सभी राज्यों के सचिव (सूचना प्रौद्योगिकी) ।

(एस.एस.रावत) संयुक्त निदेशक